

## म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

क्रमांक 04-06/पदोन्नति/ २४६२

जबलपुर, दिनांक 31.12.२०13

### आदेश

निम्नलिखित लाइन परिचारकों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वरिष्ठ लाइन परिचारक के पद पर पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त कर उनकी सेवाएं उनके नाम के समक्ष दर्शित विभागाध्यक्ष/अधीक्षण अभियंता को आगामी पदस्थापना हेतु सौंपी जाती हैं:-

स. कं.	कर्मचारी का पूरा नाम सर्वश्री	कर्मचारी संख्या	वर्तमान पदस्थापना स्थल	विभागाध्यक्ष/अधीक्षण अभियंता जहां वरिष्ठ लाइन परिचारक के पद पर पदस्थापना हेतु सेवायें सौंपी जाती हैं
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार/देवीलाल अनुसूचित जाति	95610852	अउदा-संधा.संभाग, रतलाम	मु.अभि. (अउदा-संधा-निरी), जबलपुर
2	धरमदास कुशवाह	90580804	पारेषण भण्डार जबलपुर	अधी.अभि.(अउदा-नि.), जबलपुर
3	जयइन्द्र कुमार शर्मा	86340113	220के.वी. सिवनी	मु.अभि.(परी.एवं संचार), जबलपुर
4	गंगा प्रसाद मिश्रा	93441805	परीक्षण संभाग-एक जबलपुर	मु.अभि.(परी.एवं संचार), जबलपुर
5	आर.के. गर्ग	90580472	परी. संभाग-एक जबलपुर	मु.अभि.(परी.एवं संचार), जबलपुर
6	देवकी नन्दन शुक्ला	91537554	अउदा:निर्माण संभाग सतना	अधी.अभि.(अउदा-नि.), जबलपुर
7	चन्दुलाल खांडकुरे	86341441	132के.वी.बालाघाट	मु.अभि.(परी.एवं संचार), जबलपुर
8	रामकरण त्रिपाठी	89445884	अउदा-संधा. संभाग सतना	मु.अभि. (अउदा-संधा-निरी), जबलपुर
9	गयाप्रसाद	92411007	अउदा-संधा. सं. इटारसी	मु.अभि. (अउदा-संधा-निरी), जबलपुर
10	एस. एल. नापित	90552694	परी. संभाग सागर	मु.अभि.(परी.एवं संचार), जबलपुर
11	केमला प्रसाद कनौजिया	90580878	परी. संभाग-एक जबलपुर	मु.अभि.(परी.एवं संचार), जबलपुर
12	सुशील त्रिपाठी	90552703	अउदा-संधा. सं. जबलपुर	मु.अभि. (अउदा-संधा-निरी), जबलपुर
13	रामप्रकाश सिंह पटेल	89445125	अउदा-संधा. संभाग सतना	मु.अभि. (अउदा-संधा-निरी), जबलपुर
14	कृपाराम शर्मा	90552711	परी. संभाग टीकमगढ़	मु.अभि.(परी.एवं संचार), जबलपुर
15	पूनाजी/लक्ष्मण गलफट	92410826	अउदा-संधा. सं. इटारसी	मु.अभि. (अउदा-संधा-निरी), जबलपुर

2. उपरोक्त लाइन परिचारकों की पदोन्नति मंडल के परिपत्र क्रमांक 01-13/3422/19 दिनांक 01.07.05 में निहित प्रावधानों के अनुसार दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी।

3. म.प्र. लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (1994 का क्रमांक 21) में निहित प्रावधानों एवं म.प्र. लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 तथा तत्संबंध में प्रावधानिक उक्त अधिनियम एवं नियमों के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देश, जो कि मंडल द्वारा परिपत्र क्रमांक 01-13/3434/1 दिनांक 05.01.06 एवं परिपत्र क्रमांक 01-13/3434/5 दिनांक 20.02.06 से ग्राह्य किया गया है, का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) में निहित प्रावधानों को संज्ञान में लिया गया है।

मुख्य अभियंता (अति सचिव दाब-निर्माण)  
म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता(कार्पोरेट अफेयर्स एवं आईटी)/मानव संसाधन विकास/ (सीआरए)/ (अति उच्च दाब-संधा. एवं निरीक्षण)/ (योजना एवं रूपांकन)/ (परीक्षण एवं संचार)/ (प्रोक्योरमेंट)/ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/ (सिविल-ट्रांसमिशन), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन-स्टोर), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/ (400 के.व्ही. उपकेन्द्र)/ (अउदा-नि)/ (अउदा-संधा) वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, \_\_\_\_\_
5. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/ (संचार)/ (अउदा-नि)/ (अउदा-संधा) ( कर्मशाला)( \_\_\_\_\_ )संभाग, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, \_\_\_\_\_
6. स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
7. निज सचिव संबद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
8. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/ इंदौर/ भोपाल।
9. कल्याण अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
10. श्री \_\_\_\_\_, लाइन परिचारक, द्वारा- कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/ (संचार)/ (400 के.व्ही. उपकेन्द्र)/ (अति उच्च दाब-संधा.)/ (अति उच्च दाब-निर्माण) संभाग, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, \_\_\_\_\_
11. ग्रेडेशन फाईल/ स्थापना शाखा/ आदेश फाईल।

- टीप-
1. उक्त पदोन्नत लाइन परिचारकों के कार्यग्रहण तिथि से समस्त संबंधितों के साथ ही इस कार्यालय को भी आवश्यक रूप से अवगत करावें।
  2. उपरोक्त लाइन परिचारकों को अपने पद का कार्यभार शीघ्रातिशीघ्र एवं किन्हीं भी परिस्थितियों में इस आदेश के पारित होने के 30 दिनों के भीतर संभाल लेना चाहिए अन्यथा आदेश स्वतः निरस्त माना जाकर उन्हें प्रदत्त उच्च वेतनमान का लाभ उनके द्वारा दिये गये घोषणा पत्र के आधार पर वापस ले लिया जावेगा।
  3. पदोन्नति आदेश संबंधित लाइन परिचारकों को तभी अग्रेषित किया जावे जब इस बात की पुष्टि हो जावे की उनकी परीवीक्षा अवधि का नियमितीकरण हो गया हो तथा उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/ कारण बताओ सूचना/ अनुशासनात्मक कार्यवाही/ आरोपपत्र/ (सिविल/ आपराधिक) न्यायालयीन प्रकरण/ लोकायुक्त प्रकरण इत्यादि लंबित नहीं हैं एवं वे वर्तमान में किसी भी प्रकार की दंडावधि में नहीं हैं। अन्यथा उक्त आदेश संपूर्ण विवरण व अभिलेखों की छायाप्रति सहित उचित माध्यम से इस कार्यालय को वापिस किये जावें।
  4. अनुसूचित जाति/ जनजाति के पदोन्नत लाइन परिचारकों के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि मंडल के परिपत्र क्रमांक 01-07/छ:/एम/102 दिनांक 19.12.96 के प्रावधानों के अनुसार उनके जाति सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा जाति सत्यापन में उनके जाति प्रमाण पत्र नियमानुकूल पाये गये हैं। आरक्षित श्रेणी के जिन पदोन्नत लाइन परिचारकों के जाति सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरांत ही पदोन्नति आदेश अग्रेषित किये जावें, अन्यथा उक्त आदेश संपूर्ण विवरण व अभिलेखों की छायाप्रति सहित उचित माध्यम से इस कार्यालय को वापिस किये जावें।

*Jms*

कार्यपालन अभियंता  
मुख्य अभियंता (अति उच्च दाब-निर्माण)  
म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड  
जबलपुर

*शुभम*